



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262968
CG-DL-E-08052025-262968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2025

फा. सं. N-17011/1/नागालैंड/2025-यो एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 मई, 2025 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ नागालैंड राज्य के जिलों नामतः दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, चुमुकेडिमा निउलैंड, त्सेमिन्यु, वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के सभी क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवार पर प्रवृत्त होंगे।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो एवं वि)
[विज्ञापन-III/4/असा./80/2025-26]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2025

F.No. N-17011/1/Nagaland/2025-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2025 as the date from, which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A shall be extended to the families of insured persons in all the area of notified districts namely Dimapur, Kohima, Mokokchung, Chumukedima, Niuland, Tseminyu, Wokha and Zunheboto in the State of Nagaland.

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner(P&D)
[ADVT.-III/4/Exty./80/2025-26]